

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 13-1-16

संख्या-14/विविध-910/2014, साठप्र० 513 /भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों

- (i). श्री कुन्दन कुमार, उप विकास आयुक्त, नालन्दा
- (ii). श्री कौशल कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ
- (iii). श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम, अपर समाहर्ता, नालन्दा

को दिनांक- 24.09.2015 से 31.12.2015 तक दंड प्रक्रिया संहित -1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा 20(2) के तहत नालन्दा जिला के लिए अपर जिला दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ तथा नालन्दा जिला के लिए उपर्युक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 प्रयोग करने हेतु घटनोत्तर शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

क्र. ४५०-१६  
(विजय मोहन नागपटनी)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -14/विविध-910/2014, साठप्र० 513 /पटना-15, दिनांक- 13-1-16

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ/ प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सी०डी० के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित करने हेतु/ संबंधित कोषागार/ संबंधित पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 01, 12 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

क्र. ४५०-३६१६.  
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक— 13 - 1 - 16

संख्या-14/विविध-910/2014, साठप्र० 514 /भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों

- (i). श्री कुन्दन कुमार, उप विकास आयुक्त, नालन्दा
- (ii). श्री कौशल कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ
- (iii). श्री मो० खुर्शीद आलम, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, नालन्दा
- (iv). श्री मो० मुर्शीद आलम, अपर समाहर्ता, नालन्दा

को दिनांक— 01.01.2016 से 31.12.2016 तक दंड प्रक्रिया संहित -1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा 20(2) के तहत नालन्दा जिला के लिए अपर जिला दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ तथा नालन्दा जिला के लिए उपर्युक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदत्त की जाती है। साथ ही, उपर्युक्त पदाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 23(2) के अधीन जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

५६/३०१६  
(विजय मौहन नागपटनी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -14/विविध-910/2014, साठप्र० 514 /पटना-15, दिनांक— 13 - 1 - 16

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सी०डी० के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित करने हेतु/संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 01, 12 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

५६/३०१६  
सरकार के अवर सचिव

(24)  
2008-09-27